अनुदान संख्या 66 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 66 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6984,27,00	6984,29,00	6702,40,56	-281,88,44
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				273,66,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		27,02,00	15,13,30	-11,88,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,69,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	75526.00			
पू.	S.	1.00	94.22	..	-94.22
पु.	R.	-75432.78			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	620835.00			
पू.	S.	1.00	668922.78	668253.43	-669.35
पु.	R.	48086.78			

(I) ₹75528.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹74240.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए–

(का) "ग्राम और लघु उद्योग – खादी और ग्राम उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹7236.00 लाख;

(खा) "ग्राम और लघु उद्योग – नारियल रेशा उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग" – ₹1681.00 लाख;

(गा) "ग्राम और लघु उद्योग – अन्य ग्राम उद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायक स्कीमें" – ₹27033.00 लाख;

(घा) "ग्राम और लघु उद्योग – लघु उद्योग" –

- (क) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹1136.00 लाख;
- (ख) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹24939.00 लाख;
- (ग) "विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹566.00 लाख;
- (घ) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹9797.00 लाख; और

(ङ) "ग्राम और लघु उद्योग – अन्य व्यय – उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹1852.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(I) Provision of ₹75528.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) remained wholly unutilised under twelve heads; of these ₹74240.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Village and Small Industries - Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village & Coir Industries" - ₹7236.00 lakhs;

(B) "Village and Small Industries - Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹1681.00 lakhs;

(C) "Village and Small Industries- Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and other Credit Support Schemes" - ₹27033.00 lakhs;

(D) "Village and Small Industries - Small Scale Industries" -

- (a) "Technology Upgradation and Quality Certification" - ₹1136.00 lakhs ;
- (b) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹24939.00 lakhs;
- (c) "Marketing Promotion Scheme" - ₹566.00 lakhs;
- (d) "Infrastructure Development Programme" - ₹9797.00 lakhs; and

(E) "Village and Small Industries - Other Expenditure - Entrepreneurship and Skill Development" - ₹1852.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

प्रावधान उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्वनियोग कार्यात्मक शीर्षों को के जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2851" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(का) "लघु उद्योग" –

(A) "Small Scale Industries" -

(क) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹1488.69 लाख की बचत (₹2280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) स्कीम की चल रही मांग और लघु स्तर पर "राष्ट्रीय अवार्ड" का आयोजन किए जाने की वजह से उपर्युक्त प्रस्तावों की कम/प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(a) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹1488.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2280.00 lakhs) was due to less/non-receipt of eligible proposals owing to scheme being demand driven and organising of "National Award" function at small scale.

(ख) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹4930.28 लाख की बचत (₹29555.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की चल रही मांग और योजना के दिशानिर्देश के अनुमोदन में विलंब होने की वजह से कम/प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(b) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹4930.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29555.00 lakhs) was due to less/non-receipt of eligible proposals owing to scheme being demand driven and delay in approval of the scheme guidelines.

(खा) "खादी और ग्राम उद्योग – प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹3101.54 लाख की बचत (₹3240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की चल रही मांग की वजह से प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या की प्राप्ति न होने और अन्य विभागों में संचालन में समान प्रकृति की स्कीमों के होने की वजह से पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(B) "Khadi and Village Industries - Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹3101.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3240.00 lakhs) was due to non - receipt of adequate number of proposals owing to scheme being demand driven and similar nature of schemes are in operation in other departments.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹1563.53 लाख की बचत (₹12718.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "रोजगार

(a) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹1563.53 lakhs (against the sanctioned provision of

युक्त गांवों" के लिए दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाने और खादी संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

₹12718.00 lakhs) was due to non-issue of guidelines for "Rozgar Yukt Gaon" and receipt of less proposals from Khadi Institutions.

(ख) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹997.81 लाख की बचत (₹1991.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन मिलने और स्कीम की चल रही मांग की वजह से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(b) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹997.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1991.00 lakhs) was due to late approval of the scheme and non-receipt of viable proposals owing to scheme being demand driven.

(ग) "विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹625.08 लाख की बचत (₹629.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(c) "Marketing Promotion Scheme" - saving of ₹625.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹629.00 lakhs); and

(घ) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹743.07 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1600.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹743.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1600.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2020).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम की चल रही मांग की वजह से पात्रता प्रस्तावों की कम/प्राप्ति न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less/non-receipt of eligible proposals owing to scheme being demand driven.

(ङ) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹2271.00 लाख की बचत (₹11871.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रौद्योगिकी केन्द्र, पटना और श्रीपेरमबुदूर में धीमी कार्य होने और वस्तुओं की खरीद में मुकदमेबाजी और शिकायत की वजह से हुई।

(e) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹2271.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11871.00 lakhs) was due to slow down of work in Technology Centres of Patna and Sripermbudur owing to litigation and complaint cases in procurement of goods.

(च) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹1913.00 लाख की बचत (₹8144.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(f) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹1913.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8144.00 lakhs); and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹1239.00 लाख की बचत (₹2310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "खादी का विकास, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग" – ₹786.22 लाख की बचत (₹7763.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सोलर चरखा मिशन के अंतर्गत हितधारकों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(ग) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹590.97 लाख की बचत (₹1019.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की चल रही मांग की वजह से पात्रता प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय" –

(क) "विपणन संवर्धन स्कीम" – ₹2159.17 लाख की बचत (₹2844.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹9924.36 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12890.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित स्कीम के लिए मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹750.41 लाख की बचत (₹1415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और

(a) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹1239.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2310.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹786.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7763.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from stakeholders under Solar Charkha Mission.

(c) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹590.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1019.00 lakhs) was due to less receipt of eligible proposals owing to scheme being demand driven.

(E) "Other Expenditure" -

(a) "Marketing Promotion Scheme" - saving of ₹2159.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2844.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from scheme implementing agencies.

(b) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹9924.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12890.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in March, 2020) was due to delay in getting the cabinet approval for the concerned scheme.

(c) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹750.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1415.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates

स्कीम की चल रही मांग की वजह से पात्रता प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

stage by the Ministry of Finance and less receipt of eligible proposals owing to scheme being demand driven.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹764.68 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत और 99 प्रतिशत थीं।

(III) Under two heads savings of ₹764.68 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 49 percent and 99 percent of the total sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹81933.65 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2020 में मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख की पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹81933.65 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March 2020 under Major Head "2851" under the following heads:-

(का) "लघु उद्योग" –

(क) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन" – ₹6771.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6727.81 लाख था।

(ख) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹16252.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹16242.24 लाख था।

(ग) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹5916.22 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5822.21 लाख था।

(खा) "खादी और ग्राम उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग" – ₹1569.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1557.40 लाख था।

(गा) "नारियल रेशा उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग" – ₹6139.43 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6109.36 लाख था।

(घा) "अन्य ग्राम उद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹13477.46

(A) "Small Scale Industries" -

(a) "Technology Upgradation and Quality Certification" - ₹6771.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6727.81 lakhs.

(b) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" - ₹16252.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹16242.24 lakhs.

(c) "Infrastructure Development Programme" - ₹5916.22 lakhs. Actual excess, however, was ₹5822.21 lakhs.

(B) "Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹1569.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1557.40 lakhs.

(C) "Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹6139.43 lakhs. Actual excess, however, was ₹6109.36 lakhs.

(D) "Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and

लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13469.46 लाख था।

other Credit Support Schemes" - ₹13477.46 lakhs. Actual excess, however, was ₹13469.46 lakhs.

(ङ) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹11169.84 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11168.84 लाख था।

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and other Credit Support Schemes" - ₹11169.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹11168.84 lakhs.

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें" – ₹20638.70 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹20637.70 लाख था।

(F) "Tribal Area Sub-Plan - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and other Credit Support Schemes" - ₹20638.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹20637.70 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4851"	Major Head "4851"				
ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	2660.00	1516.00	1498.30	-17.70
पु.	R.	-1144.00			

(I) "लघु उद्योग – अवसंरचना स्थापना डीसी (एमएसएमई)" – के अंतर्गत ₹1161.70 लाख की बचत (₹2660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के विलंब से अनुमोदन मिलने और स्कीम की चल रही मांग की वजह से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(I) Under "Small Scale Industries - Infrastructure Establishment DC (MSME)" - saving of ₹1161.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2660.00 lakhs) was due to late approval of the scheme and less receipt of viable proposals owing to scheme being demand driven.